राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

अग्रहायण 7, मंगलवार, शाके 1939–नवम्बर 28, 2017
Agrahayana 7, Tuesday, Saka 1939–Novemberl 28, 2017

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 28, 2017

जी.एस.आर. 101 :– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 7 में संशोधन.– राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 7 ग के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 7 घ जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

> "7घ. **विशेष योग्य जनों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.**– भर्ती और नियुक्ति में विशेष योग्य जनों के लिए आरक्षण इस निमित्त समय–समय पर जारी सरकार के नियमों के अनुसार होगा :
>
> परन्तु जहां नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि समय–समय पर यथासंशोधित राजस्थान निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 में आरक्षित पदों के कृत्यों या कतिपय कार्यों का निःशक्त व्यक्तियों द्वारा संपादन नहीं किया जा सकता, वहां नियुक्ति प्राधिकारी पूर्वोक्त नियमों में उपबंधित आरक्षण के प्रवर्तन से, उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन, छूट अनुज्ञात कर सकेगा :
>
> परन्तु यह और कि किसी वर्ष–विशेष में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस

प्रकार आरक्षित रिक्तियों को उत्तरवर्ती भर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत किया जायेगा और यदि उत्तरवर्ती भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो तीन प्रवर्गों के बीच अंतर–परिवर्तन द्वारा भरा जा सकेगा और केवल तब जब उस वर्ष में पद के लिए कोई निःशक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, नियोजक रिक्ति को किसी निःशक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरेगा।"

3. नियम 9 में संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 9 के विद्यमान परन्तुक (ix) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक (x) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(x) विशेष योग्य जनों के लिए ऊपरी आयु सीमा निम्न प्रकार से शिथिल की जायेगी :–

(i) सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष;

(ii) पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष; और

(iii) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष"

4. नियम 19 में संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 19 के उप–नियम (i) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् और टिप्पण के पूर्व निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु विशेष योग्य जन–अभ्यर्थियों को एक प्रश्नपत्र में और कुल अंकों में 5% की शिथिलता प्रदान की जायेगी।"

[संख्या एफ. 3(33)डीओपी/ए–II/85 पार्ट]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
सुनील शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव,
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.II)
NOTIFICATION
Jaipur November 28, 2017

G.S.R. 101 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan, in consultation with the High Court of Judicature for Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the

Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986 namely :-

1. **Short title and commencement :-**(1) These rules may be called the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment (Amendment-) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment in rule 7 :-** After the existing rule 7C of the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986 hereinafter referred as said rules, the following new rule 7D shall be added, namely:-

"**7D : Reservation of vacancies for Specially Abled Persons:-** Reservation for Specially Abled Persons in the recruitment and appointment shall be in accordance with the rules of the Government issued from time to time in this behalf :

Provided where the Appointing Authority is of the opinion that functions or certain jobs of the posts reserved in the Rajasthan persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011, as amended from time to time, can not be carried out by the persons with disabilities, the Appointing Authority may allow exemption from the operation of the reservation provided in the aforesaid rules subject to approval by the High Court.

Provided further that in the event of non-availability of eligible and suitable candidates in a particular year the vacancies so reserved for them shall be carried forward in the succeeding recruitment year and if in the succeeding recruitment year also suitable persons with disability is not available, it may be filled by interchange among the three categories and only when there is no person with disability available for the post in that year, the employer shall fill up the vacancy by appointment of a person, other than a person with disability."

3. **Amendment in rule-9 :-** After the existing proviso (ix) to rule 9 of the said rules, the following new proviso (x) shall be added, namely:-

"(x) the upper age limit for the Specially Abled Persons shall be relaxed as under :-

(i) 10 years for candidates belonging to General Category;

(ii) 13 years for candidates belonging to Backward Classes; and

(iii) 15 years for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes"

4. Amendment in rule -19 :- After the existing proviso and before the Note of sub rule (i) of rule 19 of the said rules, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided further that relaxation of 5% marks in individual paper and in aggregate marks shall be provided to the candidates belonging to Specially Abled Persons."

[No.F.3(33)DOP/A-II/85pt.]
By Order and in the name of the Governor,
Sunil Sharma,
Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.